परिपत्र संख्या-विधि /2021-22 -बड़े करदाता /कम्प्यूटर परि0सं0- 2122005/ 39 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 26 अप्रैल, 2021

समस्त

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/कार्पोरेट सर्किल),

डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- बड़े करदाताओं का मास्टर डाटा बैंक बनाने के सम्बंध में।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शासन द्वारा निर्धारित राजस्व संग्रह लक्ष्य प्राप्त करने हेतु बड़े करदाताओं द्वारा दाखिल किये जाने वाले रिटर्न के प्रभावी अनुश्रवण की दीर्घकालिक योजना आवश्यक है परन्तु जी.एस.टी. लागू होने के पश्चात ऐसे बड़े करदाताओं का कोई मास्टर डाटा बैंक विकसित नहीं किया गया है जिसे विकसित किये जाने पर ऐसे करदाताओं द्वारा दाखिल किये जा रहे रिटर्न की स्क्रूटनी के प्रभावी अनुश्रवण के साथ-साथ टैक्स आडिट एवं प्रवर्तन कार्यो हेतु चयनित करना तकनीकी रुप से सुविधाजनक होगा।

वर्ष 2019-20 अथवा 2020-21 में रुपया पॉच करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले पंजीकृत करदाताओं का मास्टर डाटा बैंक बनाये जाने हेतु एस.आई.बी. इण्ट्री माडयूल में Large Tax Payer's Master Data Bank का मेन्यू विकसित किया गया है जिसमे कतिपय सूचनाओं की प्रविष्टि फील्ड स्तर से कर निर्धारण कार्य में तैनात अधिकारियों से कराया जाना आवश्यक है। अत: खण्ड कार्यालयों एवं कार्पोरेट सर्किल में कार्यरत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उनकी एस.आई.बी. इण्ट्री लॉगिन पर उपलब्ध कराये गये ऐसे बड़े करदाताओं के सम्बंध में सन्दर्भित मेन्यू में वांछित प्रविष्टियॉ दिनॉक 07-05-2021 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(मिनिस्ती एस.)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि-

1-अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।

2-डिप्टी कमिश्नर(आई0टी0) वा0णिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेब साइट पर सुसंगत मेन्यू पर अपलोड कराने हेतु।

26.4.2021
(सुनील कुमार राय)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।